

15/12/21

राजस्व वाड सं. 283/2018

पत्रावली पेश हुई अकील तारी अय.
तारी गज का जारी स्वीकार होने के
कारण तारीना पत्र अन्तर्गत धारा 219.
राज. करत. अधि. 1955 का कोई
वैधिक औचित्य नहीं होने के कारण
तारी का ता. पत्र. खारिज किया जाकर
पत्रावली फेरल शुमार होकर नाबवर से
करा हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

